

88

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सण्डघोठ रीवा, जिला

रीवा म०प्र०

1301-सी/

निगरानी प्रकरण क्र० 12013

80  
15/02/13

R-1301-III/13



CF Rp 20/-

आदिवाक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह

द्वारा प्रस्तुत।

रीवा, दि. 15.02.13

*[Signature]*  
बलदेव काफ़ कोटे  
राजस्व मण्डल, म०प्र०  
ग्वालियर

मा० रफीक उर्फ कल्लनशाह पिता सत्तार शाह उम्र 65 वर्ष  
पेशा श्रमि निवासी मा० कमसरित धोविया टंकी रीवा, तह  
हजूर, जिलारीवा म०प्र० ----- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- मैयालाल पाण्डेय तनय बलदेव प्रसाद पाण्डेय उम्र वर्षा, निवासी  
ग्राम बनकुह्या, तहसील हजूर, जिलारीवा म०प्र०
- 2- जगन्नाथ प्रसाद तिवारी तनय मनकामना प्रसाद तिवारी उम्र वर्षा,  
निवासी ग्राम बनकुह्या, तहसील हजूर, जिलारीवा म०प्र०
- 3- शासन म०प्र० ----- अनावेदकान

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान्  
नायब तहसीलदार महादय सकिल बनकुह्या  
के द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-13  
प्रकरण क्र० 673/74/09-10

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
मूराजस्व संहिता सन 1959 ई०

मान्यवर,  
संक्षिप्त विवरण


क- यह कि म० निगरानीकर्ता क्र० 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

मिस्त्रिक

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1301-~~11~~13 ..... जिला रीवा..... मो. रफीक ..... विरुद्ध श्री. नालाल यादव .....

1	2	3
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>पुष्पेन्द्र सिंह</u> ..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील <u>बतलपुरिया</u> के प्रकरण क्रमांक <u>67/अ. 24/09.10</u> ..... में पारित आदेश दिनांक <u>06-2-2013</u> ..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, <u>जिला-रीवा</u> ..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>07-3-2019</u> ..... को कलेक्टर, <u>जिला-रीवा</u> ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>